न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्री गंगानगर(राजस्थान)

प्रकरण संख्या 02/2014 दायरा दिनांक 04.06.2014

पीठासीन अधिकारीः— वीरन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.

गायब सिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर तहसील श्री करणपुर .....निगरानीकर्ता

बनाम्

1. गुरदीपसिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वी धनूर
2. रूपसिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वी धनूर
3. बख्तावर कौर पत्नी श्री भगवान सिंह रायसिख निवासी 6 वी धनूर
4. सरपंच ग्राम पंचायत 6 वी धनूर

..... गैर निगरानीकर्तागण

उपस्थितः—

1. श्री विजेन्द्र घिंटाला एडवोकेट, जरिये निगरानीकर्ता ।
2. श्री फलभूरसिंह एडवोकेट जरिये गैर निगरानीकर्तागण ।

।। निर्णय ।। दिनांक :— 21/7/17

प्रस्तुत निगरानी के सारगर्भित तथ्य इस प्रकार से हैं कि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 इस आशय की पेश की गई कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत 6 वी धनूर द्वारा दिनांक 5.10.2009 को गैर निगरानीकर्तागण के नाम से पुराने कब्जे के आधार पर पट्टा बही बुक संख्या 22 के पट्टा संख्या 73 साईज 300 गुणा 85 फुट का पट्टा जारी किया गया है। उक्त जगह का पट्टा निगरानीकर्ता के दादा स्वत्र सिंह के नाम से साईज 40 गुणा 40 गज का वर्ष 1974 में जारी किया हुआ है। जो निगरानीकर्ता को घरेलु बंटवारा में अपने दादा से प्राप्त हुआ था। गैर निगरानीकर्तागण के नाम से जारी पट्टे के पीछे नक्शा भी बनाया हुआ है जिसमें 20 फुट उत्तर दिशा की ओर रास्ता आम दिखाया गया है इस रास्ते के दूसरी ओर निगरानीकर्ता के प्लॉटस हैं। तत्कालीन सरपंच द्वारा इसकी जांच किये बिना ही गैर निगरानीकर्तागण के नाम से पट्टा जारी कर दिया गया जो कानूनन गलत होने के कारण निरस्त योग्य हैं। सरपंच द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर पटटा जारी किया गया है उस जगह पर कभी भी गैर निगरानीकर्तागण का कब्जा नहीं रहा है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 मे प्रावधान है कि पुराने कब्जे के आधार पर पट्टे जारी किये जा सकते हैं लेकिन इस संबंध में राजस्थान पंचायती राज नियम 157 की पालना नहीं की गई है। कार्यवाही विवरण रजिस्टर के अनुसार केवल 31 पट्टे जारी करने का उल्लेख है व उन्ही पट्टों की रसीद काटी गई है जो कैश बुक से स्पष्ट है। गैर निगरानीकर्तागण के नाम से जारी पट्टे की कोई रसीद नहीं काटी गई न ही कार्यवाही विवरण में इसका उल्लेख किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 144 की तत्कालीन सरपंच द्वारा पालना नहीं की गई है जबकि इतने संयुक्त क्षेत्र का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा उसके दादा से बंटवारे में मिले प्लाट 40 गुणा 40 का गुरूद्वारा साहिब को दान किया व गैर निगरानीकर्तागण द्वारा इस पर कब्जा करने की कोशिश की तो ए.सी.जे.एम. श्री करणपुर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें उभय पक्षों को पाबन्द किया गया। निगरानीधीन पट्टा निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

2. निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। गैर निगरानीकर्तागण को तलब किया गया। गैर निगरानीकर्तागण की ओर से श्री फलभूरसिंह एडवोकेट द्वारा वकालत नामा पेश किया गया व पैरवी की गई। सरपंच ग्राम पंचायत का रेकार्ड मंगाया गया।

3. बहस उभय पक्षीय सुनी गई। निगरानी कर्ता के सुयोग्य अधिवक्ता का बहस में कथन है कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत 6 वी धनूर द्वारा दिनांक 5.10.2009 को गैर निगरानीकर्तागण के नाम से पुराने कब्जे के आधार पर पट्टा बही बुक संख्या 22 के पट्टा संख्या 73 साईज 300 गुणा 85 फुट का पट्टा जारी किया गया है। उक्त जगह का पट्टा निगरानीकर्ता के दादा स्वत्र सिंह के नाम से साईज 40 गुणा 40 गज का वर्ष 1974 में जारी किया हुआ है। जिस पर 3 फुट की दिवार की हुई थी। राजस्थान पंचायती राज 1996 मे प्रावधान है कि पुराने कब्जे के आधार पर पट्टे जारी किये जा सकते हैं लेकिन इस संबंध में राजस्थान पंचायती राज नियम 157 की पालना नहीं की गई

जिला कलैक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

पंचायती राज नियम 1996 के नियम 144 की तत्कालीन सरपंच द्वारा पालना नहीं की गई है जबकि इतने संयुक्त क्षेत्र का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। रोकड़ बुक, कैश बुक, पट्टा रजिस्टर आदि में गैर निगरानीकर्तागण का नाम नहीं है।

4. इसके विरूद्ध गैर निगरानीकर्तागण के सुयोग्य अभिभाषक का कथन है कि निगरानी मियाद बाहर है जो 3 माह की अवधि में दायर होनी चाहिये। रजिस्टर में गैर निगरानीकर्तागण का नाम है। निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

5. बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का गौर पूर्वक अवलोकन किया गया। दिनांक 5.10.2009 को ग्राम पंचायत 6 वी धनूर द्वारा पट्टा संख्या 073 आहाता साईज 300 गुणा 85 फुट का पुराने कब्जे के आधार पर कब्जा नियमन किया गया है।

6. राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 की धारा 144 के अन्तर्गत पंचायत 100 वर्ग गज तक की भूमि निवासीय प्रयोजनो के लिये बाजार दर पर आवंटित कर सकती है जबकि इस प्रकरण में 300 गुणा 85 फुट का नियमन किया गया है जो नियमानुसार उचित नहीं है। इसी प्रकार नियम 157 के तहत 50 वर्ष पूर्व से निर्मित मकान का पटटा जारी किया जा सकता है। पचास वर्ष पुराना निर्मित मकान अथवा नियम लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकान के संबंध में विहित प्रावधानानुार कोई जांच नहीं की गई है न ही प्रकिया अपनाई गई है। लिहाजा निगरानीधीन पट्टा दिनांक 5.10.2009 खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति के साथ रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर